न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

मु0नं0 141/2022 आदेश दिनांकः 28.08.2024

अनुवानी

सांवतराम बनाम राजूदेवी आदि

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 ए, डी सी.पी.सी.

अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 ए, डी सी. पी. सी. एवं धारा 207 आर.टी.ए. पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी व अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी की ओर से अपनी प्रार्थना–पत्र में अंकित किया गया कियह कि वादी ने कृषि भूमि ख न 1425/227 तादादी 0.0383 हैक्टर, 1426/227 तादादी 2.0736 हैक्टर, 154 तादादी 6.9050 हैक्टर, 203 तादादी 4.4010 हैक्टर कुल किता 4 कुल तादादी 13.4179 हैक्टर रोही घण्टेल तहसील चूरू के बाबत खातेदारी घोषणा हेतु दावा अदालवाला मे प्रस्तुत करवाया है उक्त दावा प्रार्थी में बिल्कुल गलत मनगढंत काल्पनिक वा कानूनी प्रावधानो की अनभिज्ञयता वा अज्ञानतावश भ्रमित करने वाले तथ्य अंकित कर प्रस्तुत किया गया है।

यह कि वादी ने कृषि भूमि ख न 1425/227 तादादी 0.0383 हैक्टर, 1426/227 तादादी 2.0736 हैक्टर, 154 तादादी 6.9050 हैक्टर, 203 तादादी 4.4010 हैक्टर कुल किता 4 कुल तादादी 13.4179 हैक्टर रोही घण्टेल तहसील चूरू के प्रतिवादी सं 1 के खातेदारी में दर्ज 1/21 हिस्सा, वा प्रतिवादी सं 2 से 6 की माता के खातेदारी में दर्ज 1/21 हिस्सा हिस्सा भूमि की खातेदारी हटाकर उपरोक्त खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण सं 7 से 12 के नाम दर्ज करने बाबत घोषण करवायी जाने एवं उक्त अनुसार रिकार्ड मे दर्ज करने का काल्पनिक तथ्य अंकित कर दावा वादी दर्ज किया गया है क्योकि वादी द्वारा दावा का आधार लिया गया है कि प्रतिवादी सं 1 वा प्रतिवादी सं 2 से 6 की माता का विवाह के उन्होने किया वा विवाह के पश्चात उनका कोई हिस्सा खातेदारी मे शेष नही रहता है आदि तथ्य अंकित कर हम प्रतिवादी सं 1 वा प्रतिवादीगण सं 2 से 6 की माता का हिस्सा हडप करने वा अदालतवाला को गुमराह करने वा अल्प कानूनी ज्ञान वा अज्ञानी अधिवक्ता की सलाह करके हम खातेदार को अपने हक हिस्सा की भूमि से महरूम करने वा खातेदारी अधिकारो का उपयोग उपभोग करने से वंचित करने के आश्य से दावा वादी दायर किया गया है जो कानून की नजर में चलने योग्य है । अदालतवाला द्वारा उक्त दावा दर्ज ही नही किया जाना चाहिए था प्रथम दृष्टया ही दावा वादी खारिज करने योग्य था परन्तु वादी द्वारा अदालतवाला को मुगालते मे रखते हुए गलत तथ्य अंकित कर दावा सम्पति का उनके वारिस बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार होते हैं सभी सहखातेदारान का पैतृक मौरूशी सहदायिक सम्पत्ति पर प्रत्येक इंच भूमि पर बराबर बराबर हिस्सा होता है जिसे भी शादी [illegible] करके खातेदार को उसके हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता है एवं वादी [illegible] से 7 से 14 अप्रार्थीया से पुरानी किसी बात को लेकर रंजीश रखते हैं [illegible] जिम्मेदारिया भी पुरी नहीं करते है ना ही भात आदि भरते [illegible] अप्रार्थीया के शामिल [illegible] इस प्रकार से वादी एवं प्रतिवादीगण अप्रार्थीया से द्वेष रखते [illegible] दावा में अंकित भूमि [illegible] सं 1 की पैतृक मौरूशी सहदायिकी सम्पति है जिसका भली प्रकार से ज्ञान भी वादी को [illegible] तथा गलत तथ्य अंकित कर दावा वादी प्रस्तुत किया गया है इसलिए प्रथम दृष्टया ही दावा वादी खारिज किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

चूरू

जाने योग्य है जो दावा वादी को वाद कारण नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है जो खारिज किया जावें।

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित किया गया कि 1. यहकि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 के कथन आशिक रूप से स्वीकार है शेष कथन गलत लिखे होने के कारण से अस्वीकार किये जाते है वास्तवीक एव सत्य कथन यह है कि अप्रार्थीया राजू का वादगत कृषि भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है एव ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। अप्रार्थीया द्वारा विरास्तन दर्ज नामातरण की आड़ में वादगत कृषि भूमि को खुर्द बुर्द कर दिगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा होने के कारण प्रार्थी द्वारा मजबुरन्त माननीय न्यायालय के समक्ष दावा / प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है शेष कथन गलत लिखे होने के कारण से अस्वीकार किये जाते है।

2. यहकि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 के कथन गलत लिखे होने के कारण अस्वीकार किये जाते है वास्तवीक एव सत्य कथन यह है कि प्रार्थी एव अप्रार्थीगण संख्या 01 बहन भाई है तथा प्रार्थी एव अप्रार्थी सख्या 02 ता 06 आपस में मामा–भांजा–भांजी है प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता द्वारा अप्रार्थीया का विवाह भात छुछक आदि बडी धुमधाम से किया गया था शादी के बाद से लेकर आज दिनांक तक अप्रार्थीगण का वादगत कृषि भूमि पर कभी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नहीं रहा है प्रार्थी एवं अप्रार्थीया के मध्य भाई बहिन का वैश्वासिक संबंध होने के कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया से वादगत कृषि भूमि में से परित्याग पत्र निष्पादित नहीं करवाया गया जिस कारण वर्तमान में अप्राथर्थीया का वादगत कृषि भूमि में विरास्तन नामातरण दर्ज हो गया। वादगत कृषि भूमि में से वर्तमान में स्टेट हाईवे गुजरने के कारण वादगत कृषि भूमि की किमते अत्यधिक हो जाने के कारण अप्रार्थीया एवं उसके परिजनों के मन में लालच हो जाने के कारण वादगत कृषि भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यही एवं वास्तविक तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं किसी भी तथ्य को छुपाया बढ़ाया घटाया नहीं गया है वादगत कृषि भूमि पर अप्रार्थीया का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

3. यहकि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 के कथन गलत लिखे होने के कारण अस्वीकार किये जाते है वास्तवीक एव सत्य कथन यह है कि वादगत कृषि भूमि पर गत 40 वर्षों से अप्रार्थी का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। जिस कारण भी अप्रार्थीया का वादगत कृषि भूमि में हिस्सा स्वत समाप्त हो जाता है तथा प्रार्थी कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाई जाने का अधिकारी है।

4 यहकि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 के कथन गलत लिखे होने के कारण अस्वीकार किये जाते है वास्तवीक एंव सत्य कथन यह है कि प्राथर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि सम्वत रूप से पेश किया गया है अप्रार्थी द्वारा विरास्तन दर्ज नामातंरण दर्ज की आड में ग्राहक लगाकर वादगत कृषि भूमि को विक्रय करने पर आमादा होने तथा विक्रय किये जाने स्थिति में वाद बहुल्यता बढ़ने एवं कानून व्यवस्था बिगडने की स्थिति पेदा होने तथा जन हानी होने की परिस्थितिया हाने से प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया है अप्रार्थीया को हस्तगत दावे एव स्थगन आदेश का ज्ञान रहा है किन्तु अप्रार्थीया जान बुझकर हाजिर अदालत नहीं आई है।

5. यहकि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 05 के कथन गलत लिखे होने के कारण अस्वीकार किये जाते है वास्तवीक एव सत्य कथन यह है कि अप्रार्थीया का वादगत कृषि भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही होने के कारण अप्रार्थीया द्वारा वादगत कृषि भूमि को किसी भी रूप में खुर्दबुर्द करने की फिराक में है जिस तथ्य को अप्रार्थीया द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार भी किया है कि उसे कृषि भूमि पर ऋण लेने से महरूम कर दिया है जिससे भी स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि पर अप्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चूरू

44

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत दावा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व जवाब प्रार्थना–पत्र के अनुसार उक्त वादगत भूमि पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अधिवक्ता वादी की ओर से अपनी बहस में अप्रार्थी का कोई कब्जा न बताकर एडवर्स पजेशन के आधार पर व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 12 की ओर से भात छुछक आदि समस्त सामाजिक कार्य किये है अतः उरोक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के हिस्से की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 के हिस्से में दर्ज कर उक्तानुसार खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है। उपरोक्त विवेचन स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हिस्से की भूमि को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की घोषणा करवाना चाहता है। अधिवक्ता उभय पक्ष की ओर से अपनी बहस के समर्थन में दृष्टान्त पेश किये जिनका भी ससम्मान अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी. के समर्थन में 2009(2) RRT 852 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHN, AJMER RAMAN LAL VS DEEPA RAM REVESION /T.A/NO. 2763/ Bikaner of 2008-Decided on 3rd Nov, 2008 व 2006(1) RRT 53 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHN, AJMER Chhoti vs Satialsingh & ors. REVESION /NO. 89/ sikar of 2002-Decided on 8th june, 2005 प्रस्तुत किया है व अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से RRD 1996 PAGE 381 CHAND KAUR VS HARKORI & Ors. AND RRD 2017 PAGE 297 Bhunkar ram vs suja ram के दृष्टान्त पेश किये।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस एवं बहस के समर्थन में प्रस्तुत दृष्टान्त आदि से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचा है कि वादी का एडवर्स पजेशन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि कोई भी एडवर्स पजेशन सहखातेदार का स्थान नहीं ले सकता। एक पुत्री जो शादी होकर अपने पति के साथ रह रही है वह अन्य के पक्ष में अपना खातेदारी अधिकार नहीं खोती। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 ए, डी सी.पी.सी. पोषीय है।

इसलिए न्यायालय के विनम्र मत में मौजूदा वाद आदेश 7 नियम 11 ए, डी सी.पी. सी. के प्रावधानों से बाधित होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 ए, डी सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्टेज खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:32 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्र सिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू